हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 28 अप्रैल, 2014

संख्या वैब 4 /ह0अ0 6/2003/धा0 59/2014. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क तथा ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,–

1. अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 5क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
"6	सेल फोन (इनके पार्टस तथा असैंसरीज सहित) जिनका खुदरा मूल्य ₹10,000/– से अधिक है ।	8 प्रतिशत";

2. अनुसूची ग में,–

(i) क्रम संख्या 44 में, खाना 2 के नीचे, "सेल फोन" शब्दों के स्थान पर, "सेल फोन (इनके पार्टस तथा असैंसरीज सहित) जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य ₹10,000/– तक है" शब्द, कोष्ठक, अंक तथा चिह्न राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 78 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"78क	वैज्ञानिक उपकरण ";

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।